

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
10/22	53, 88, 89, 91, 188 RTA	नीमरेवडा	६७डा
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
शकरिया बाई		बनाम	गणेश

वकील :- राजेश जोधा

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
20/01/22	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91 एवं 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ज सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक <u>16/2/22</u> को पेश हो।	
16/2/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी कम 1 को क्र 2 से श्री हेमराज कुशवर्ध एडवो. का क्वालर नाम पेश हुआ। जट शिर्षक किया गया। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 14/2/22 को पेश है।	
04/04/22	अन्य पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक <u>23/5/22</u> को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
23/5/22	अन्य पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक <u>11/7/22</u> को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
11/7/22	अन्य पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक <u>22/8/22</u> को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	

22/8/22

प्राथमिक अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 27/9/22 को पेश हो।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

27/9/22

प्राथमिक अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 22/11/22 को पेश हो।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

22/11/22

पत्रावली पेश हुई। वकूलाए फरीकेन उपस्थित। जवाब पेश नहीं हुआ है। लक्ष्य चाहते हैं। पत्रावली वापस जवाब दिनांक 17/01/23 को पेश हो।

17/01/23

अभिभाषक के मांगे के अनुसार प्राथमिक अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 14/3/23 को पेश हो।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

14/3/23

अभिभाषक के मांगे के अनुसार प्राथमिक अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 25/4/23 को पेश हो।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

11/7/23

पत्रावली MRC केम के वाद पूर्ववत् स्थिति में आज पेश हुई। अभिभाषक प्राणी अनुपस्थित। तीन बार आज्ञा लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण अदम हज़ारी अदम पैरवी रकारिज किया जाता है पत्रावली फ़ैशल शुमार शेकर दखिल दफ़तर हो।